"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2016—आषाढ़ 31, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, परशुराम चन्द्राकर आत्मज श्री कृष्णालाल चन्द्राकर, उम्र 50 वर्ष, निवासी-प्रगति नगर रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वोटर आई. डी. एवं आधार कार्ड में मेरा नाम परशुराम चन्द्राकर लिखा हुआ है परन्तु ग्राम आमालोरी में मेरे नाम कास्तकारी भूमि के राजस्व अभिलेख एवं ऋण पुस्तिका में मेरा घरेलू नाम पुरूषोत्तम आ. कृष्णालाल लिखा हुआ है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम परशुराम चन्द्राकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे परशुराम चन्द्राकर आत्मज श्री कृष्णालाल चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
पुरूषोत्तम आत्मज श्री कृष्णालाल निवासी- प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	परशुराम चन्द्राकर आत्मज श्री कृष्णालाल चन्द्राकर निवासी- प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रंजीता कंडरवार (Smt. Ranjeeta Kandarwar) ध. प. श्री ओमकार कंडरवार, उम्र 28 वर्ष, निवासी-मकान नं. 35 एच, क्रॉस स्ट्रीट 1, सेक्टर 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम रंजीता मेश्राम पिता श्री सुरेश मेश्राम था. मेरा विवाह श्री ओमकार कंडरवार से बालाघाट में सम्पन्न हुआ. उस समय मेरे पति ने कागजातों व दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश रंजीता बाई कंडरवार दर्ज करवा दिया था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रंजीता कंडरवार रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती रंजीता कंडरवार पति श्री ओमकार कंडरवार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रंजीता मेश्राम
पिता श्री सुरेश मेश्राम

नया नाम

श्रीमती रंजीता कंडरवार
(Smt. Ranjeeta Kandarwar)
ध. प. श्री ओमकार कंडरवार
निवासी-मकान नं. 35 एच, क्रॉस स्ट्रीट 1, सेक्टर 1,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति महिमा मोजेश ध. प. श्री टी. मोजेश, उम्र 20 वर्ष, निवासी-मकान नं. 867, वार्ड नं. 16, मुकुट नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शालेय रिकार्ड में मेरा नाम कल्याणी साहू आ. शेखर साहू एवं माता का नाम डेमिन साहू दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 12-12-2015 को टी. मोजेश आ. श्री टी. कोंडईया के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह उपरान्त मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति महिमा मोजेश रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमति महिमा मोजेश पति श्री टी. मोजेश के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कल्याणी साहू
आत्मजा श्री शेखर साहू
निवासी-मकान नं. 867, वार्ड नं. 16
मुकुट नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमति महिमा मोजेश
ध. प. श्री टी. मोजेश
निवासी-मकान नं. 867, वार्ड नं. 16
मुकुट नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जोहन लाल बान्धेकर पिता स्व. श्री अयोध्या बान्धेकर, जाति अहिरवार (मोची), उम्र 52 वर्ष, निवासी–न्यू कृष्णा नगर, पीली मिट्टी चौक, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि भिलाई इस्पात संयंत्र के वित्त विभाग के घोषणा एवं नामांकन प्रपत्र (हिन्दुस्तान स्टील के भविष्य निधि नियम 1966 का नियम 7) के प्रपत्र में मेरे पिताजी का नाम जोधा दर्ज हो गया है जो गलत है. मैं अपने पिताजी का नाम परिवर्तित कर नया नाम अयोध्या बान्धेकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे जोहन लाल बान्धेकर आत्मज स्व. श्री अयोध्या बान्धेकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
जोहन लाल बान्धेकर पिता श्री जोधा बान्धेकर निवासी–न्यू कृष्णा नगर, पीली मिट्टी चौक, सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	जोहन लाल बान्धेकर पिता श्री अयोध्या बान्धेकर निवासी–न्यू कृष्णा नगर, पीली मिट्टी चौक, सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राज रावत आत्मज श्री पी. आर. रावत, आयु 25 वर्ष, निवासी–स्टेशन पारा वार्ड नं. 13, शिक्षक कालोनी, राजनांदगांव शहर, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त दस्तावेज शासकीय व अर्धशासकीय जिसमें मेरा नाम राजेन्द्र कुमार रावत आ. श्री पी. आर. रावत लिखा हुआ है जबकि मेरे स्टेट बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम राज रावत लिखा हुआ है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम राज रावत रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राज रावत आत्मज श्री पी. आर. रावत के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राजेन्द्र कुमार रावत आत्मज श्री पी. आर. रावत निवासी–स्टेशन पारा, शिक्षक नगर, वार्ड नं. 13, राजनांदगांव शहर तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)	राज रावत आत्मज श्री पी. आर. रावत निवासी–स्टेशन पारा, शिक्षक नगर, वार्ड नं. 13, राजनांदगांव शहर तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

वन मण्डलाधिकारी बालोद वनमण्डल, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक/245.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में अंकित बीट हैमर पुसेवाड़ा बीट रक्षक को आवंटित किया गया था, जिसे श्री मनसुखलाल ठाकुर बीट रक्षक द्वारा दिनांक 06-11-2015 को बिटेझर मुख्यालय से मोटर सायकल से आते समय खो गया. परिक्षेत्राधिकारी डौण्डी के पत्र क्र. 1627 दि. 19-11-2015 द्वारा सूचित किया गया है कि उप परिक्षेत्र बिटेझर के अंतर्गत पुसेवाड़ा बीट का हैमर कहीं गुम हो गया. उपवनमंडलाधिकारी दल्ली के पत्र क्र. 382 दिनांक 05-03-2016 श्री मनसुखलाल ठाकुर से हैमर गुम हो जाने बाबत् स्पष्टीकरण लिया जाकर चरित्रावली चेतावनी देते हुए हैमर की राशि वसूल कर अपलेखन करने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा है.

अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुये उक्त हैमर को भण्डार (अभिलेख) से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 400/- रु. (चार सौ रुपये मात्र) श्री मनसुखलाल ठाकुर वनरक्षक के वेतन से अथवा शासकीय चालान द्वारा वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है तथा हैमर उनकी लापरवाही से गुम होने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावली चेतावनी की जाती है.

यदि किसी व्यक्ति को हैमर मिले तो अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें. यदि किसी के द्वारा उक्त हैमर का उपयोग करते पाया जावेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 अंतर्गत अभियोग चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

बालोद, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक/246.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में अंकित बीट हैमर पेण्ड्री बीट रक्षक को आवंटित किया गया था, जिसे श्री कोमलसिंह यादव परिसर रक्षक द्वारा दिनांक 21-01-2016 को अपने बीट के कक्ष क्र. 30 आर.एफ. से आते समय खो गया. परिक्षेत्राधिकारी दल्ली के पत्र क्र. 380 दि. 24-02-2016 द्वारा सूचित किया गया है कि पेण्ड्री परिसर का हैमर कहीं गुम हो गया. उपवनमंडलाधिकारी दल्ली के पत्र क्र. 381 दिनांक 05-03-2016 श्री कोमलसिंह यादव से हैमर गुम हो जाने बाबत् स्पष्टीकरण लिया जाकर चरित्रावली चेतावनी देते हुए हैमर की राशि वसूल कर अपलेखन करने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा है.

अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुये उक्त हैमर को भण्डार (अभिलेख) से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 400/- रु. (चार सौ रुपये मात्र) श्री कोमलसिंह यादव परिसर रक्षक के वेतन से अथवा शासकीय चालान द्वारा वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है तथा हैमर उनकी लापरवाही से गुम होने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावली चेतावनी की जाती है.

यदि किसी व्यक्ति को हैमर मिले तो अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें. यदि किसी के द्वारा उक्त हैमर का उपयोग करते पाया जावेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 अंतर्गत अभियोग चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

एस. मंडावी,
वनमंडलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.